न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 38/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/83

प्रार्थीगणः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. नारायणलाल पुत्र भोपाराम 2. वोराराम पुत्र भोपाराम 3. केशाराम पुत्र भोपाराम 3/1 जगदीश पुत्र केशाराम 3/2 नेमीचन्द पुत्र केशाराम 3/3 किशोर पुत्र केशाराम जतिगण घॉची निवासीगण हेमावास, तहसील व जिला पाली		1. ग्राम पंचायत हेमावास, पंचायत समिति पाली तहसील व जिला पाली जरिये सरपंच 2. मोहम्मद इकबाल पुत्र अब्दुल जब्बार जाति मुसलमान निवासी आशापुरा नगर, खोड़िया बालाजी के पास, पाली (राज.) 3. रूपाराम पुत्र मुलाराम जाति ब्राहम्ण निवासी हेमावास तहसील पाली जिला पाली (राज.)

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री डी.आर.सोलंकी, श्री भैराराम परिहार।
2. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सद्दाम काजी।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांक : 30/03/2026

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत हेमावास द्वारा मिसल संख्या 161/1984–85, प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 29.05.1985 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 41 दिनांक 31.05.1985 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 वक्त बहस अनुपस्थित होने से उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थीगण का एक पुश्तैनी बाड़ा ग्राम हेमावास में आया हुआ है, जिसके पड़ौस पूर्व दिशा में वसाराम व भैराराम पुत्रगण समाराम घॉची के बाड़े, पश्चिम दिशा में किशनाराम जोगी का मकान, उत्तर दिशा में दाकु देवी व ओकाराम के बाड़े, जो जोगाराम पुत्र थानाराम से आगे से आगे खरीद किये हुये है तथा दक्षिण दिशा में हेमावास से डेन्डा जाने वाला आम रास्ता है। प्रार्थीगण के पिता के देहान्त के उपरान्त उक्त बाड़े का पारिवारिक सेटलमेंट कर तीन हिस्सों में बांट दिया, जिसका प्रार्थीगण उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थीगण के परिवारजनों के पक्ष में उक्त भूमि का पट्टा बनाने हेतु आवेदन करने पर जैर निगरानी पट्टे की जानकारी हुई। प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध

अति. जिला कलेक्टर पाली

नहीं है। जैर निगरानी आराजी के पड़ौस की भूमि के विक्रय विलेख दिनांक 10.02.2011 तथा ग्राम पंचायत हेमावास द्वारा वसाराम, भेराराम के पक्ष में जारी पट्टे के पड़ौस में प्रार्थी नारायण घांची का नाम अंकित है। यदि अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा कोई पट्टा जारी किया हुआ होता अथवा मौके पर कब्जा होता तो उक्त दस्तावेजों के पड़ौस में उनका नाम अंकित होता। जैर निगरानी पट्टे पर सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर है। जिसके पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, वह ग्राम हेमावास का निवासी ही नहीं है और न ही उनका मौके पर कोई कब्जा है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से जारी जैर निगरानी पट्टे को निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी आराजी पर अप्रार्थी का कब्जा था तथा उनके द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष नियामानुसार पट्टा बनाने हेतु आवेदन पेश करने पर ग्राम पंचायत ने सम्पूर्ण जांच के पश्चात् पंचायती राज नियमों के अनुरूप जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। वर्तमान में यदि जैर निगरानी पट्टे का रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है तो उसके लिये पट्टाधारक दोषी नहीं है। जैर निगरानी आराज़ी पर अप्रार्थी का कब्जा होने एवं विधिक प्रावधानों की पालना होने पर ग्राम पंचायत ने नियमानुसार जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। वर्तमान में जैर आराज़ी के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है। अप्रार्थी को केवल परेशान करने की नियत से प्रार्थीगण ने बिना किसी उचित विधिक प्रावधानों के जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे निरस्त फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत हेमावास द्वारा मिसल संख्या 161/1984–85, प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 29.05.1985 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 41 दिनांक 31.05.1985 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता अप्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि जैर निगरानी आराजी का सिविल न्यायालय, पाली में वाद विचाराधीन है, जिसमें स्थगन आदेश पारित किया हुआ है, जिसके सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि उक्त स्थगत आदेश न्यायालय हाजा पर प्रभावी नहीं है। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार सिविल न्यायालय, पाली के प्रकरण संख्या 10/2025 अनवान मोहम्मद इकबाल बनाम नारायणलाल वगैरा में पारित आदेश दिनांक 15.10.2025 के अनुसार ''....इस न्यायालय द्वारा पारित यथास्थिति आदेश दिनांकित 19.02.2025 केवल प्रकरण के पक्षकारान को मौके व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबन्द करता है एवं किसी सक्षम न्यायालय/सक्षम विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जा रही विधिक कार्यवाही को किसी प्रकार से बाधित नहीं करता है।'' अतः न्यायालय हाजा जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने, जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को, चुनौती दी है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 1 WLC 472 uma soni vs Rajasthan State में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि It has been held that the patta issued by Gram Panchayat in contravention to the Rules of 1996 can be quashed in exercise of powers under Section 97 of the Act of 1994 तथा राजस्थान पंचायती राज नियम की धारा 97 के

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

तहत ग्राम पंचायत के किसी आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य की जांच करने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को है। चूंकि धारा 97 में पंचायत की आज्ञा/कार्रवाई के सम्बन्ध में परीक्षण एवं अन्य उचित आदेश जारी किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारिता न्यायालय हाजा को ही प्रदत्त है तथा पट्टा, ग्राम पंचायत द्वारा पारित आज्ञा की अनुवर्ती कार्रवाई के तहत जारी किया जाता है। इस कारण ग्राम पंचायत द्वारा जारी आज्ञा एवं उक्त आज्ञा की पालना में जारी पट्टे की वैधता को जांचने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा में निहित है।

अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि जैर निगरानी आराजी पर प्रार्थीगण का पूर्वजों के समय से कब्जा है, जिसकी ताईद पड़ौसी के पट्टों से होती है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने विपक्षी अधिवक्ता के उज्र का खण्डन करते हुये निवदेन किया कि जैर निगरानी आराजी का अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी हो रखा है और यदि ग्राम पंचायत द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के पड़ौस में उनका नाम अंकित नहीं किया तो इसमें अप्रार्थी की क्या गलती है। इस सम्बन्ध में जैर निगरानी पट्टे के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त पट्टे के पड़ौस उत्तर दिशा में जोगाराम पुत्र थानाराम घांची का बाड़ा, दक्षिण दिशा में आम रास्ता, पूर्व दिशा मे समाराम घांची का बाड़ा तथा पश्चिम दिशा में किशनाराम जोगी का मकान है। पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेज अनुसार जैर आराजी का मुहम्मद इकबाल द्वारा नरेन्द्रसिंह व अन्य के पक्ष में दिनांक 17.04.2019 को आम मुख्तीयारनामा निष्पादित किया गया, जिसमें अंकित पड़ौस प्रश्नगत पट्टे में अंकितानुसार है अर्थात् वर्ष 2019 में पट्टाधारक ने जैर निगरानी पट्टे के आधार पर आम मुख्तीयारनामा निष्पादित किया गया। प्रकरण में यह विधिक प्रश्न प्रकट होता है कि क्या जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया हुआ है अथवा नहीं ? अब यदि उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया हुआ है तो वर्ष 1985 के पश्चात् जैर निगरानी आराजी के अड़ौस–पड़ौस की भूमि के जारी पट्टों में अप्रार्थी संख्या 2 का नाम आवश्यक रूप से होना चाहिये। जैर निगरानी पट्टे की पूर्व दिशा में समाराम घांची अंकित है और ग्राम पंचायत हेमावास द्वारा इनके पुत्रों भेराराम पुत्र समाराम घांची के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 8340 दिनांक 10.12.2009 एवं बसाराम पुत्र समाराम घांची के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 8339 दिनांक 10.12.2009 का अवलोकन करने पर यह पाते है कि उक्त पट्टों के पड़ौस पश्चिम दिशा में प्रार्थी नारायण घांची व रूपाराम पटेल अंकित है तथा रूपाराम पटेल द्वारा दाकुदेवी पत्नी भवरलाल के पक्ष में किये गये बेचाण पट्टाशुदा भूखण्ड दिनांक 10.02.2011 में अकितानुसार ग्राम पंचायत हेमावास द्वारा बेचाणकर्त्ता के पक्ष में मिसल संख्या 05/2000–2001, दायर दिनांक 21.12.2000 के द्वारा पट्टा संख्या 652 जारी किया हुआ है जिसके पड़ौस में दक्षिण दिशा में नारायण पुत्र भोपाजी घांची का थाला अंकित है। हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों से यह प्रकट होता है कि जैर निगरानी पट्टे के पड़ौस में स्थित व्यक्तियों के पक्ष में जारी पट्टों में प्रार्थी नारायणलाल का नाम होना अंकित है, जो उनके निरन्तर कब्जे की ताईद करता है। प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों से यह सुस्पष्ट है कि पश्चातवर्ती पट्टे, जो कि ग्राम पंचायत हेमावास द्वारा जारी किये गये है, उसमें कही भी जैर निगरानी पट्टे के तथ्य अथवा अप्रार्थी संख्या 2 का नाम अंकित नहीं है। यदि

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया हुआ होता तो अवश्य ही पश्चातवर्ती पट्टों में इसका अंकन होता लेकिन पश्चातवर्ती जारी अन्य पट्टों में प्रश्नगत पट्टे का अंकन नहीं है, जो प्रथमदृष्टया जैर निगरानी पट्टे सत्यता पर प्रश्नचिन्ह् प्रकट करता है। इसके विपरीत अधिवक्ता अप्रार्थी, जैर निगरानी पट्टे के समर्थन में किसी अन्य पड़ौसी का पट्टा, जिसमें उनका नाम अंकित हो अथवा अधिकृत या पुष्टि योग्य अभिलेख, साक्ष्य/दस्तावेज पेश करने में असमर्थ रहे। हस्तगत प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों, वर्ष 1985 के पश्चात् जैर निगरानी पट्टों के पड़ौसियों के पक्ष में जारी ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे एवं उभयपक्ष के तर्कों का परीक्षण करने पर यह पाया जाता है कि विवादित भूमि पर वास्तविक व निरन्तर कब्जा प्रार्थी का ही रहा है, न कि अप्रार्थी का और पश्चतावर्ती पड़ौसीयों के पट्टों में अप्रार्थी का नाम अंकित नहीं है, जो यह दर्शाता है कि जैर निगरानी पट्टे की सत्यता एवं विधिक वैधता प्रथम दृष्टया सिद्ध नहीं होती। लिहाजा अधिवक्ता प्रार्थी का उक्त कथन प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रमाणित होने से स्वीकार किया जाता है।

इसके अतिरिक्त प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड ग्राम पंचायत में उलपब्ध नहीं होना भी पट्टे की सत्यता पर प्रश्नचिन्ह् अंकित करता है। भूमि का पट्टा तभी वैध माना जाता है जब वह स्पष्ट रूप से भूमि की सीमाएं, स्वामित्व और उपयोग के अधिकारों को प्रमाणित करता हो। राजस्थान पंचायती राज एक्ट और सम्बन्धित नियमों के अनुसार, पट्टा जारी करते समय उसका पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होता है। रिकॉर्ड के बिना पट्टा जारी करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है क्योंकि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही खत्म हो जाती है। बिना रिकॉर्ड के जारी पट्टे की वैधता संदिग्ध होती है। इसका अर्थ है कि पट्टा फर्जी, गलत या भ्रष्टाचार से प्रभावित हो सकता है। ग्राम पंचायत के पास पट्टे का पूरा रिकॉर्ड होना अनिवार्य है। यदि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो यह पट्टा जारी करने में प्रक्रिया का उल्लंघन माना जाएगा, बिना उचित दस्तावेज के पट्टा अस्वीकार्य होता है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त AIR 1997 SC 1125 L. Chandra Kumar vs Union of India में स्पष्ट किया कि पट्टे के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और उचित रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त Ram singh vs State of UP, 2015 के अनुसार पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड का होना अनिवार्य है। बिना रिकॉर्ड के पट्टा की वैधता नहीं मानी जाएगी। ग्राम पंचायत से रिकॉर्ड का गायब होना जानबूझकर दस्तावेजों से छेडछाड की आशंका को जन्म देता है, इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने 1957 AIR 882 Union of India vs T.R. Varma में स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड की अनुपलब्धता स्वयं में जांच का आधार है, खासकर जब वह किसी विवादित निर्णय से सम्बन्धित हो। इसी तरह 2003 RLW 1119 Ramchandra vs State of Rajasthan में यह अंकित किया कि यदि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा बिना वैध रिकॉर्ड के या बिना अधिसूचना के जारी किया गया है, तो वह आदेश कानूनन टिक नहीं सकता। यहां पर माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त AIR 1958 SC 32 M.C. Chockalingam vs Union of India में प्रतिपादित सिद्धान्त को उद्धत करना समीचीन प्रतीत होता है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि भूमि पट्टों के मामलों में पारदर्शिता और नियमों का पालन आवश्यक है, अन्यथा पट्टा रद्द

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट किया कि यदि पट्टे के साथ सम्बन्धित कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, तो पट्टे को संदिग्ध माना जाएगा और वह रद्द किया जा सकता है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी आदेशों में पारदर्शिता और रिकॉर्ड रखरखाव को जरूरी बताया गया है। ग्राम पंचायत के समक्ष जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड ही नहीं है, जो प्रकरण को संदेहास्पद बनाता है।

हस्तगत प्रकरण में जैर निगरानी पट्टे की प्रति पर केवल सरपंच एवं किसी एक सदस्य के ही हस्ताक्षर है, ग्राम पंचायत के सम्पूर्ण कोरम, खरीददार एवं सचिव के हस्ताक्षर नहीं है, जिससे यह प्रकट होता है कि अकेले सरपंच द्वारा ही प्रश्नगत पट्टा जारी किया गया है, जो कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 48(1) की अवहेलना है। ग्राम पंचायत व्यक्तिगत संस्था नहीं होकर सामूहिक निकाय है इसलिये केवल सरपंच द्वारा अकेले पट्टा जारी किया जाना वैध नहीं माना जा सकता ऐसे निर्णय कानूनी रूप से ab initio void होते है। प्रश्नगत पट्टे की प्रति से स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि पट्टा विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन किए बिना एकतरफा रूप से सरपंच द्वारा जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 174 RRD 1984 State of Raj. vs Govind Ram के अनुसार Mutation-Attested by Upsarpanch-Held, power of attesting mutation, delegated to G.P. having jurisdiction-G.P. does not mean a Sarpanch or Upsarpanch or any Panch but a validly called meeting of G.P. having quoram-To hold other-wise would mean that each and every Panch, Upsarpanch or Sarpanch of G.P. can at his own, without calling meeting and without quoram can attest any mutation any time anywhere-Mutation, cancelled. ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत हेमावास द्वारा मिसल संख्या 161/1984–85, प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 29.05.1985 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 41 दिनांक 31.05.1985 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति सम्बन्धित को पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/03/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली